भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 5071
उत्तर देने की तारीख – 24/03/2026

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम

5071. श्रीमती कमलजीत सहरावत :
श्री मनीष जायसवाल :
श्री विष्णु दयाल राम :
श्री आलोक शर्मा :
श्री अनुराग शर्मा :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह:
कैप्टन बृजेश चौटा:
श्रीमती अपराजिता सारंगी :
श्री भोजराज नाग
श्री सतीश कुमार गौतम

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क): उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नियमों को अधिसूचित किया है और इसके कार्यान्वयन की झारखंड, विशेषकर हजारीबाग और रामगढ़ जिलों सहित, राज्य-वार स्थिति क्या है;

(ख): सरकारी नौकरियों में आरक्षण के कार्यान्वयन की झारखंड सहित राज्य-वार स्थिति क्या है और विशेषकर हजारीबाग और रामगढ़ जिलों की स्थिति क्या है;

(ग): क्या सरकार को दिव्यांगजनों के लिए कम मासिक पेंशन राशि के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हो रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ): क्या सरकार का दिव्यांगजनों के लिए मासिक पेंशन राशि में वृद्धि करने का विचार है और यदि हां, तो इसे कब तक बढ़ाए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके कया कारण हैं;

(ङ): क्या देश भर में और विशेषकर झारखंड में हजारीबाग और रामगढ़ जिलों सहित सार्वजनिक भवनों की सुगम्यता संबंधी संपरीक्षा पूरी कर ली गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी संपरीक्षा के निष्कर्ष राज्य-वार क्या हैं; और

(च): क्या विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) प्रणाली झारखंड, विशेषकर हजारीबाग और रामगढ़ जिलों, सहित पूरे देश में पूरी तरह से कार्य कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल.वर्मा)

(क): दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 101 के अंतर्गत, राज्य सरकारों को इस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु नियम अधिसूचित करने का अधिकार दिया गया है। विभाग में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, सभी राज्यों ने नियम अधिसूचित कर दिए हैं।

(ख): दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 के तहत, प्रत्येक समुचित सरकार के लिए यह अपेक्षित है कि वह सरकारी नौकरी में प्रत्येक संवर्ग की कुल रिक्तियों में से, प्रत्येक पद समूह में कम से कम 4% पदों को बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित करें। केंद्र सरकार के कार्यालयों के संदर्भ में, 4% आरक्षण सीधी भर्ती तथा पदोन्नति दोनों में लागू किया जाता है।

(ग) एवं (घ): सरकार को समय-समय पर दिव्यांगजनों को प्रदान की जाने वाली मासिक पेंशन सहित वित्तीय सहायता की पर्याप्तता के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त होते रहते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से संचालित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस) के तहत 18 से 79 वर्ष आयु वर्ग के प्रत्येक लाभार्थी को प्रति माह 300 रूपये तथा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के प्रत्येक लाभार्थी को प्रति माह 500 रूपये की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्तमान में एनएसएपी के अंतर्गत केंद्रीय सहायता की कवरेज/दर में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ): 'सुगम्य भारत अभियान' अब "बाधामुक्त वातावरण निर्माण योजना (सीबीएफई)" के अंतर्गत सम्मिलित कर दिया गया है। इसका उद्देश्य निर्मित वातावरण, परिवहन, तथा सूचना एवं संचार के क्षेत्रों में दिव्यांगजनों के लिए सुगम्यता में सुधार करना है।

(च): विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) प्रणाली झारखंड, हजारीबाग और रामगढ़ सहित देश के सभी 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पूर्ण रूप से संचालनात्मक है। अब तक झारखंड राज्य में 2,12,893 यूडीआईडी कार्ड/प्रमाणपत्र बनाए जा चुके हैं। इनमें से हजारीबाग जिले में 12,613 और रामगढ़ जिले में 11,391 यूडीआईडी कार्ड/प्रमाणपत्र बनाए जा चुके हैं।
